क्रमांक / मा0चि0 / 6106
प्रति,

सीधी दिनांक 15 / 07 / 2022

कार्यपालन यंत्री
बाणसागर पक्का बांध, संभाग क्र.–3
बाणसागर, जिला–शहडोल (म.प्र.)

विषयः– जिला सीधी के अन्तर्गत बहुती कैनाल परियोजना के निर्माण हेतु 1.4002 हेक्टेयर वनभूमि कार्यपालन यंत्री, बाणसागर पक्का बांध, संभाग क्र.–3 देवलोंद शहडोल को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ:– 1. भारत सरकार पर्यावारण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPB005/2022-BHO दिनांक 05.07.2022
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ–3 / 113 / 2019 / 10–11 / 11 / 2420 भोपाल दिनांक 08.07.2022

—000—

विषयान्तर्गत कृपया भारत सरकार / वनमुख्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें जो आपको पृष्ठांकित हैं। प्रकरण में भारत सरकार पर्यावारण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम क्षेत्र भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPB005/2022-BHO दिनांक 05.07.2022 के द्वारा प्रकरण में शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी कर शर्तों का पालन प्रतिवेदन चाहा गया है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ–3 / 113 / 2019 / 10–11 / 11 / 2420 भोपाल दिनांक 08.07.2022 के द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों पर निम्नानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं :–

शर्त क्रमांक–A(1) के पालन में प्रकरण में तैयार की गई वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अनुसार कुल राशि रू. 36,14,783 /– भारत सरकार की वेबसाइट www.forestclearance.nic.in के माध्यम से कैम्पा मद में जमा कराई जावे तथा पुष्टिकरण हेतु राशि जमा होने के 72 घंटे पश्चात् का बैंक स्टेटमेन्ट, यू.टी.आर. नं. दिनांक प्राप्त किया जाकर प्रस्तुत करें।

शर्त क्रमांक–A(2,3) के पालन में प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वन विभाग को प्रदाय की गयी गैर वनभूमि को ग्राम बोदारी टोला खसरा क्रमांक 136 रकवा 1.4002 हे. वन विभाग के नाम हस्तांतरण / नामान्तरण कराकर फार्म पी–2 एवं कब्जा रसीद आदि की प्रति इस कार्यालय को भिजवायें, साथ ही वन परिक्षेत्राधिकारी मझौली से सम्पर्क कर उक्त गैर वनभूमि का मौके से सीमांकन कराकर मुनारा स्थापित करायें तथा प्रत्येक मुनारा की रीडिंग लेकर उक्त गैर वनभूमि का नक्श 1:15000 मापमान तैयार करायें मैप में चर्तुदिशिक सीमा उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम की सीमाओं का उल्लेख किया जाये तथा संरक्षित वन घोषित किये जाने हेतु अधिसूचना प्रारूप वन परिक्षेत्राधिकारी मझौली से समन्वय से तैयार कराकर 5 प्रति में भेजें।

शर्त क्रमांक–A(4) के पालन में प्रभावित 1.4002 हेक्टेयर वनभूमि की नेट प्रजेण्ट वैल्यू की राशि रू. 13,41,084 /– भारत सरकार की वेबसाइट www.forestclearance.nic.in के माध्यम से कैम्पा मद में जमा कराई जावे तथा पुष्टिकरण हेतु राशि जमा होने के 72 घंटे पश्चात् का बैंक स्टेटमेन्ट, यू.टी.आर. नं. दिनांक प्रस्तुत किया जाये।

शर्त क्रमांक–A(6) के अनुसार कैम्पा मद में ई–पोर्टल के माध्यम से समस्त राशियों का भुगतान ऑनलाईन राशि जमा किया जाये।

शर्त क्रमांक–A(7). के पालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रस्तावित वनभूमि का एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।

शर्त क्रमांक–B(3) के पालन में अतिरिक्त एन.पी.व्ही. की राशि देय संबंधी निर्धारित वचन पत्र प्रेषित करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्रकरण में रोपित अन्य समस्त शर्तों का एक्जाई पालन प्रतिवेदन अभिलेखों सहित तीन प्रति में इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा शर्त पालन प्रतिवेदन भारत सरकार की वेबसाइट में भी अपलोड करें।

वन मण्डल अधिकारी
सीधी (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक / मा0चि0 / 6107

सीधी, दिनांक 15 / 07 / 2022

प्रतिलिपि:–1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
3. उपवनमण्डलाधिकारी मझौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. वन परिक्षेत्राधिकारी मझौली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया आवेदक संस्थान को शर्त क्रमांक A(2,3) के पालन में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

वन मण्डल अधिकारी
सीधी (म0प्र0)